

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/61069/2019-20/11

दिनांक 13/01/2021

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा ।

विषय :- शहरी क्षेत्र में समन्वयन से मुक्त/डी-मर्ज, अन्य कारणों से नामित संकुल सन्दर्भ केन्द्रों (सीआरसी) के अधीनस्थ विद्यालय के रूप में चिह्नीकरण से वंचित रहे विद्यालयों के लिए सीआरसी के निर्धारण बाबत ।


प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक-02 दिनांक 05.03.2020 एवं 03 दिनांक 29.05.2020 के क्रम में ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.05.2020 द्वारा जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों को संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) एवं संबंधित संस्था प्रधान को संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ) नामित किया गया है ।

शहरी क्षेत्र में समन्वयन से मुक्त/डी-मर्ज विद्यालय, ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम क्षेत्र के नगरपालिका/शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित होने इत्यादि कारणों से नामित संकुल संदर्भ केन्द्र के अधीनस्थ विद्यालय के रूप में चिह्नीकरण से वंचित रहे विद्यालयों के लिए उपयुक्त सीआरसी का निर्धारण (प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.05.2020 द्वारा नामित/निर्धारित सीआरसी में से) इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 05.03.2020 के अनुसार करते हुए संलग्न प्रारूप में प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 21.01.2021 तक इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. -dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (M.S.Excel) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।


संलग्न :- उपर्युक्तानुसार ।


जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
मा0शि0, राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 13/01/2021

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/सीआरसी/61069/2019-20/11

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा ।
7. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा ।
9. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान ।
10. समस्त शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)/शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (UCEEO) तथा संस्था प्रधान ।
11. उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प., जयपुर ।
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा ।
13. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर ।
14. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
15. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर ।
16. रक्षित पत्रावली ।


जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
मा0शि0, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला.....
वांछित सूचना प्रेषण हेतु प्रारूप:-

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका क्षेत्र का नाम	नामित शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी) विद्यालय का विवरण (प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.05.2020 द्वारा नामित)						शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी) विद्यालय के अधीन आने वाले विद्यालयों से संबंधित सूचना (शहरी क्षेत्र में समन्वयन से मुक्त / डी-मर्ज, ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम क्षेत्र के नगरपालिका / शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित होने इत्यादि कारणों से नामित संकुल संदर्भ केन्द्रों (सीआरसी) के अधीनस्थ विद्यालय के रूप में चिह्निकरण से वंचित रहे विद्यालयों का विवरण)			
				विद्यालय का नाम	वार्ड न0	NIC CODE	U-DISE CODE	शहरी आदर्श / अन्य	क्र.सं.	विद्यालय का नाम	वार्ड न0	NIC CODE	U-DISE CODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									1				
									2				
									3				
2									1				
									2				
									3				

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
 पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
 समग्र शिक्षा।